189 29 सीपीएसई में बोर्ड स्तर के पदधारकों का वेतन निर्धारण

अधोहस्ताक्षरी को डीपीई के दिनांक 14.03.2002 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(10)/02–डीपीई (डब्ल्यूसी) की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जो ऐसे कार्यपालकों के वेतन निर्धारण से संबंधित हैं, जिनकी किसी सीपीएसई में बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्ति होती है। इस कार्यालय ज्ञापन में यह प्रावधान किया गया है कि कार्यपालक द्वारा निम्नतर पद पर नियमित आधार पर उसके द्वारा आहरित वेतन में एक वेतन वृद्धि अथवा 100 रु, जो भी अधिक है, की आरंभिक वृद्धि की जाएगी और उच्चतर पद में वेतन का निर्धारण निम्नतर पद के आरंभिक रूप से बढ़ाए गए वेतन से एक चरण ऊपर किया जाएगा।

2. ऐसे मामलों, जहां उपर्युक्त प्रावधान को लागू करके बोर्ड स्तर के कार्यपालकों का वेतन निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है, में पूर्ववर्ती पद में आहरित परिलब्धियों के आधार पर किया जाता है और अवशिष्ट राशि को वैयक्तिक वेतन के रूप में माना जाता है, जिसे भावी वेतन निर्धारण/वेतन संशोधन में आमेलित किया जाता है, तथापि यह देखा गया है कि वेतन निर्धारण की ऐसी स्थिति वहां उत्पन्न होती है, जहां बोर्ड स्तर के कार्यपालक की नियुक्ति किसी निम्नतर वेतनमान वाले पद पर की जाती है, क्योंकि हो सकता है कि सीपीएसई संशोधन पूर्व वेतनमान का अनुपालन कर रहा हो, अथवा वह किसी निम्नतर अनुसूची में शामिल हो। यह देखा गया है कि अधिकतम वेतनमान पर वेतन आहरित करने और वैयक्तिक वेतन के रूप में अवशिष्ट राशि आहरित करने के लिए पदधारी द्वारा आहरित परिलब्धियों की रक्षा करने के परिणामस्वरूप विसंगतियों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जहां किसी सीपीएसई के निदेशक मंडल में नियुक्त अन्य निदेशकों के साथ–साथ सीएमडी भी ऐसे पदधारी की तुलना में काफी कम वेतन आहरित करते हैं।

3. इस बात का उल्लेख किया जाए कि फिटमेंट के उद्देश्य से द्वितीय वेतन संशोधन समिति(2nd पीआरसी) ने अपनी रिपोर्ट में किसी भी विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को हटाने की सिफारिश की है। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। तत्पश्चात सरकार ने सीपीएसई के कार्यपालकों के वेतन संशोधन से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए मंत्रियों की एक समिति भी गठित की है। इस प्रकार गठित की गई मंत्रियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह पाया है कि ''न्याायाधीश मोहन समिति (पहली पीआरसी) ने 01.01.1997 से कोई 'सुरक्षित वेतन' की सिफारिश नहीं की थी।'' मंत्रियों की समिति ने फिटमेंट के प्रयोजन से द्वितीय पीआरसी की सिफारिश के अनुसार वैयक्तिक वेतन/विशेष वेतन को हटाने के लिए सहमति प्रदान की है।

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया है कि आगे से बोर्ड स्तर के कार्यपालकों का वेतन निर्धारण नए वेतनमान में एक वेतनवृद्धि और अगले 10 रु. के रूप में राउंड ऑफ करके उनके वेतन में आरंभिक वृद्धि करने के पश्चात किया जाएगा। यदि इस प्रकार निर्धारित किया गया वेतन नए वेतनमान में अधिकतम सीमा से अधिक है, तो वेतन निर्धारण उस वेतनमान की अधिकतम सीमा पर किया जाएगा। किसी भी मामले में यदि पूर्ववर्ती वेतन और संशोधित वेतन के बीच कोई अंतर, यदि कोई है, तो उसे वैयक्तिक वेतन के रूप में आहरित करने की अनुमति नहीं होगी।

5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त दिशानिर्देशों को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई के संज्ञान में लाएं। तदनुसार बोर्ड स्तर के पदधारकों के वेतन निर्धारण संबंधी प्रस्तावों को भविष्य में डीपीई को भेजा जाए।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2 (24)/09–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–**XIV**/2009, दिनांक 02 जून 2009)

*****